

तम्बाकू बोर्ड नियम

सा.का.नि.1 (इ)- केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय - I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का नाम तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम ” से तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) “बोर्ड ” से धारा 4 के अधीन स्थापित तम्बाकू बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “अध्यक्ष ”, “संसाधन ”, “व्योहारी ”, “कार्यपालक निदेशक ”, “निर्यात ”, “सदस्य ”, “रजिस्ट्रीकृत ” और “रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला ” पदों के वही अर्थ होंगे जो उनको क्रमशः अधिनियम में दिए गए हैं;

(घ) “समिति ” से बोर्ड द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त समितियों में से कोई समिति अभिप्रेत है;

(ङ.) “सचिव ” से धारा 6 के अधीन नियुक्त, बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(च) “धारा ” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(चक) “सरकार” से ‘केन्द्रीय सरकार’ अभिप्रेत है ;

(छ) “प्ररूप ” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ज) “उपाध्यक्ष ” से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3 (i), में दि.01.01.1976 को प्रकाशित किया गया।

(झ) “वर्ष ” से अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।

*(ज) “अनुमोदित किस्म ” से तम्बाकू के बीजों की ऐसी किस्म अभिप्रेत है जिसकी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण खेती के लिए सिफारिश की गई है और जिसे दिया गया है, और जिसको ऐसे अभिकरणों द्वारा प्रदाय किया गया है, जिन्हें बोर्ड, समय-समय पर अनुमोदित करें;

*(ट) “नर्सरी उगाने वाला ” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू के बीजोत्पन्न पौधे उगाने के लिए धारा 10क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया है;

*(ठ) “वाणिज्यिक श्रेणी देने वाला ” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रतिफल के लिए दूसरों के लिए वर्जीनिया धुंआ संसाधित तम्बाकू का श्रेणीकरण अपने हाथ में लेता है और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति नहीं है जो केवल अपने लिए श्रेणीकरण में लगा हुआ है;

*(ड) “प्रसंस्करणकर्ता ” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं में से किसी को अपने हाथ में लेता है, जो वर्जीनिया पत्ती वाली तम्बाकू उस क्षण से की जाती है जब से उसी कारखाने में परिदत्त किया जाता है और कट ब्लेंड के प्रक्रम तक उस पर की जाती है, उदाहरण के लिए लपेटने वाली सामग्री का हटाना, आद्रीकरण, ढीला करना, धूल निष्कर्षण, सिकाई, मिश्रण, सुकरण, काटना, आदि;

*(ढ) “विनिर्माणकर्ता ” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विनिर्माण, जिसमें वर्जीनिया तम्बाकू पूर्ण रूप से या ऑशिक रूप से प्रयोग की जाती है, अपने हाथ में लेता है,

*(ण) “विनियमों ” से बोर्ड द्वारा बनाया गया कोई विनियम अभिप्रेत है।

*॥तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1988, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.05.1988 द्वारा खण्ड (ज) से (ण) तक अन्तःस्थापित किया गया।

बोर्ड और उसकी समितियाँ

3. सदस्यों की रिक्तियाँ भरने की रीति :-

- (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग), (घ) और (ड.) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों को नियुक्त करने के पूर्व, ऐसे परामर्श कर सकेगी जैसे वह ठीक समझे।

* परन्तु धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ड.) के अधीन तम्बाकू उगाने वालों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों की नियुक्त करते समय सरकार केवल रजिस्ट्रीकृत उगाने वालों को सदस्यों के रूप में नियुक्त करेगी :

परन्तु यह और कि कम से कम दो ऐसे सदस्य छोटे या सीमान्त उगाने वालों में से होंगे।

टिप्पण: दूसरे परन्तुक के प्रयोजन के लिए छोटा उगाने वाला वह व्यक्ति है जिसको भूमि आर्द्रभूमि के दो हैक्टेयर या शुष्क भूमि के 4 हैक्टेयर से अधिक नहीं है और सीमान्त उगाने वाला वह व्यक्ति है जिसको भूमि आर्द्रभूमि के 1 हैक्टेयर या शुष्क भूमि के दो हैक्टेयर से अधिक नहीं है।

- (2) जब बोर्ड के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह पदत्याग कर देता है या ऐसा समझा जाता है कि उसने पदत्याग कर दिया है या उसे पद से हटा दिया जाता है या वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना व्छारा, किसी व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कर सकेगी ;

परन्तु जहां रिक्ति ऐसी है जो पदावरोही सदस्य द्वारा, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन उसकी संसद की सदस्यता के आधार पर धारित थी, वहां उस रिक्ति के नए पदाधारी की नियुक्ति, संसद के उस सदन द्वारा, जिसका कि वह पदावरोही व्यक्ति सदस्य था, नए निर्वाचन के आधार पर की जाएगी।

* तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1988, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.05.1988 द्वारा नियम 3 के उप नियम (1) में परंतुक जोड़ा गया।

4. सदस्यों की पदावधि :-

(1) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क), (ख), (ग) और (ड.) के अधीन नियुक्त सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, तथा खंड (घ) के अधीन नियुक्त सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

* परन्तु धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क), (ख), (ग) और (ड.) के अधीन नियुक्त सदस्य, दो कालावधियों से अधिक के लिए पुनःनियुक्त होने योग्य होगा तथा खंड (ड.) के अधीन नियुक्त सदस्य एक कालावधि से अधिक के लिए पुनःनियुक्त होने के लिए न योग्य होगा।

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह-

(i) संसद के उस सदन का सदस्य नहीं रह जाता है जिसके द्वारा वह निर्वाचित किया गया था ; अथवा

(ii) उस प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है, जिससे उसे नियुक्त किया गया था।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसका स्थान वह भरता है, पद धारण करने का हकदार हुआ होता, यदि रिक्ति न हुई होती।

5. पद त्याग :-

(1) कोई सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित, अपने द्वारा हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) किसी सदस्य का पद उसी तारीख से, जिसको उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है अथवा पदत्याग के प्रज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, रिक्त हो जाएगा।

(3) किसी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्याग-पत्र स्वीकार करने पर उस तथ्य की रिपोर्ट बोर्ड की उसकी आगामी बैठक में देगा।

* भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.13.01.1998 द्वारा प्रकाशित तृतीय बोर्ड (संशोधन) नियम 1997, में प्रतिस्थापित किया गया।

6. बोर्ड से हटाया जाना :-

केन्द्रीय सरकार, किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,-

(क) यदि वह विकृतचित है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया जा चुका है ; अथवा

(ख) यदि वह अनुमोचित दिवालिया है ; अथवा

(ग) यदि उसे नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त करने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; अथवा

(घ) यदि वह, अध्यक्ष की इजाजत के बिना, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता तो ।

*(ड.) अध्यक्ष की इजाजत से बोर्ड की लगातार चार बैठकों में उपस्थित होने में असफल होने पर; परंतु नियम 7 के उप नियम (1) (क) के अधीन सूचितानुसार भारत से बाहर उनका/उनकी अनुपस्थिति के दौरान अनेक बैठकें संपन्न होने पर इस के लिए मान्य नहीं होगा।

7. भारत से अनुपस्थिति :-

(1) बोर्ड के किसी सदस्य के भारत के बाहर जाने के पहले,-

(क) वह सचिव को भारत से अपने प्रस्थान की तारीख और भारत में अपने लौटने की प्रत्याशित तारीख प्रज्ञापित करेगा ; और

(ख) यदि वह छह मास से दीर्घतर अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित रहना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र दे देगा।

(2) यदि कोई सदस्य उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन किए बिना भारत छोड़ता है तो वह समझा जाएगा कि उसने भारत से प्रस्थान की तारीख से पदत्याग कर दिया है।

8. सदस्यता नामावली :-

सचिव सदस्यों के नामों और उनके पत्तों का अभिलेख रखेगा।

9. पते का परिवर्तन :-

सदस्य अपने पते में किसी परिवर्तन की सचिव को सूचना देगा और यदि वह पते के परिवर्तन की सूचना देने में असफल रहता है तो शासकीय अभिलेख में के पते को सभी प्रयोजनों के लिए उसका सही पता समझा जाएगा।

* भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.13.01.1998 द्वारा प्रकाशित ःतम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1997, में प्रतिस्थापित किया गया।

10. उपाध्यक्ष :-

- (1) बोर्ड प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से, उपाध्यक्ष का, उसके निर्वाचन की तारीख से, अथवा यदि निर्वाचन किसी विद्यमान उपाध्यक्ष की पदावधि की समाप्ति के पहले किया जाता है तो उस तारीख से, जिसको ऐसा उपाध्यक्ष पद रिक्त करे, प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए निर्वाचन करेगा।
- (2) यदि उपाध्यक्ष के पद में पदत्याग या उसके सदस्य न रहने के कारण या अन्यथा कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो बोर्ड अपनी आगामी बैठक में किसी अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगा जो उपनियम (1) के अधीन निर्वाचित उपाध्यक्ष की पदावधि के अनवसित भाग के लिए पद धारण करेगा।

*10 क - बोर्ड द्वारा व्यक्तियों का सहयोजन :

- (1) बोर्ड स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, किसी अन्य निकाय की सिफारिशों के आधार पर या अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने में तम्बाकू उद्योग की प्रोन्नति में हितबद्ध व्यष्टियों या संगमों के अभ्यावेदनों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा।
- (2) ऐसे सहयोजित व्यक्तियों की पदावधि वह अवधि होगी जिस तक बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है या वह अवधि होगी जो बोर्ड विनिश्चित करे, इस में जो भी पूर्वतर है।

11. बोर्ड की समितियाँ :-

- (1) बोर्ड द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त समितियाँ या तो सलाहकार या कार्यपालक स्वरूप की हो सकेंगी और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन जो बोर्ड द्वारा अधिनियम और इन नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निश्चित किए जाएं, तथा ऐसे निदेशों का भी, यदि कोई हों, अनुपालन करेंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को दिए जाएं।
- (2) समितियाँ द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण विनिश्चय बोर्ड के समक्ष उसकी आगामी बैठक में, उसकी सूचनार्थ और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे रखे जाएंगे।

* नियम 10-क भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.06.09.1980

द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1980, में प्रतिस्थापित किया गया।

अध्याय - III

बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया

12. बोर्ड के अधिवेशन:-

बोर्ड की वर्ष में कम से कम दो सामान्य बैठकें ऐसी तारीखों और ऐसे स्थानों पर होंगी जिन्हें अध्यक्ष ठीक समझे तथा किन्हीं दो सामान्य बैठकों के बीच का अन्तराल किसी भी दशा में आठ मास से दीर्घतर नहीं होगा।

13. बैठकें बुलाने की शक्ति:-

- (1) अध्यक्ष किसी समय, बोर्ड की बैठक बुला सकेगा और यदि कम से कम *आठ सदस्यों द्वारा लिखित रूप में उसके समक्ष बैठक की अध्यक्षता प्रस्तुत की जाती है तो वह ऐसा कर सकेगा।
- (2) अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक के अतिरिक्त बोर्ड के किसी अधिकारी से, बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा या उसके लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा, किन्तु ऐसा अधिकारी या व्यक्ति मत देने का हकदार नहीं होगा।
- (3) बोर्ड के किसी अधिवेशन के कम से कम पूरे 14 दिन पहले, आशयित बैठक के समय और स्थान की, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित सूचना केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ी जाएगी या डाक से भेजी जाएगी;

परन्तु अत्यधिकता की दशा में, अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की विशेष बैठक किसी समय बुलाई जा सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार और सदस्यों को, विचार-विमर्श की विषय सामग्री की ओर उन कारणों की जिनसे वह उस मामले को अत्यधिक समझता है, पूर्व सूचना देगा।

- (4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी समय बोर्ड की बैठक बुला सकेगी।

* सात सदस्य शब्द के लिए आठ सदस्य शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.05.1988 द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1988 में प्रतिस्थापित किया गया।

14. गणपूर्ति:-

- (1) बोर्ड के किसी बैठक में तब तक कोई कामकाज नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी बैठक में कम से कम * आठ सदस्य उपस्थित न हों।
- (2) यदि किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या किसी समय सदस्यों की उस संख्या से कम है जो उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट है, तो पीठासीन सदस्य, सदस्यों को स्थगित बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना देने के पश्चात् बैठक को ऐसी तारीख के लिए स्थगित कर देगा, जो ऐसी बैठक की तारीख अधिक से अधिक तीन दिन पश्चात् की हो, और तदुपरि ऐसी स्थगित बैठक में पीठासीन सदस्य के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह आरम्भिक बैठक में किए जाने के लिए आशयित कामकाज का, उपस्थित सदस्यों की संख्या का विचार किए बिना निपटारा करे।

15. बैठकों का अध्यक्ष:-

अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो बैठक में उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी को निर्वाचित करेंगे।

16. कार्य-सूची:-

- (1) अध्यक्ष, ऐसी बैठक में किए जाने वाले कामकाज की सूची तैयार कराएगा और उसे बोर्ड की बैठक के कम से कम दस दिन पहले केन्द्रीय सरकार को और सदस्यों के बीच परिचालित कराएगा।
- (2) कार्य-सूची में सम्मिलित न किया गया कोई कामकाज बोर्ड की किसी बैठक में, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा।

17. मतदान:

- (1) बोर्ड की बैठक के समक्ष लाया गया प्रत्येक प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।
- (2) मत बराबर होने की दशा में, ऐसी बैठक में पीठासीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

* छः सदस्य शब्द के लिए आठ सदस्य शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.05.1988 द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1988 में प्रतिस्थापित किया गया।

18. परिचालन द्वारा कामकाज का किया जाना:-

- (1) कोई कामकाज जो बोर्ड द्वारा किया जाना है, यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश करे, तो कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा सदस्यों (उन सदस्यों से भिन्न जो भारत में नहीं हैं) को निर्देशित किया जा सकेगा तथा इस प्रकार परिचालित कागज-पत्रों की प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएंगी।
- (3) उपनियम (1) के अधीन परिचालित और उन सदस्यों के, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध कर दिये हैं, बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई प्रस्थापना या संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानो ऐसी प्रस्थापना या संकल्प का विनिश्चय बोर्ड की किसी बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा किया गया था; परन्तु यह बत जब कि बोर्ड के कम से कम *आठ सदस्यों ने उस प्रस्थापना या संकल्प कर अपने विचार अभिलिखित कर दिये हों;

परन्तु यह और जब कोई प्रस्थापना या संकल्प परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्देशित किये जाएं तो कोई भी पांच सदस्य यह अपेक्षा कर सकेंगे कि उस प्रस्थापना या संकल्प को किसी बैठक में सदस्यों को निर्देशित किया जाए और तदुपरि सदस्यों को ऐसे निर्देश बोर्ड की किसी बैठक में किये जाएंगे।

- (1) जहाँ कोई कामकाज उपनियम (1) के अधीन सदस्यों को निर्देशित किया जाता है वहाँ कम से कम पूरे दस दिन की अवधि सदस्यों से उत्तरों की प्राप्ति के लिये दी जाएगी और ऐसी अवधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसकी कामकाज की सूचना जारी की जाती है।
- (2) यदि इस नियम के अधीन कोई प्रस्थापना या संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम सभी सदस्यों को और केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा।
- (3) कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा प्रश्नों की बाबत किये गये सभी विनिश्चय अभिलेखार्थ बोर्ड की आगामी बैठक में रखे जाएंगे।

19. कामकाज का अभिलेख:-

- (1) बोर्ड द्वारा किये गये कामकाज की मर्दों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।
- (2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक में किये गये कामकाज के अभिलेख पर, ऐसी बैठक में पीठासीन यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- (3) जब कोई कामकाज कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार किये गये कामकाज के अभिलेख पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।

20. पुनर्विलोकन:

- (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जाएंगे, बोर्ड के किसी विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगी और उस मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे।
- (2) उपनियम (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को भेजी जाएगी।
- (3) उपनियम (2) के अधीन आदेश की प्रति की प्राप्ति पर, बोर्ड, उक्त आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन कर सकेगा तथा केन्द्रीय सरकार ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, अपने द्वारा उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश को या तो रद्द, उपान्तरित या पुष्ट कर सकेगी या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकेगी जो उसकी राय में न्यायसंगत या समीचीन हो।

अध्याय - IV

बोर्ड का वित्त, बजट और लेखा

21. बजट प्राक्कलन:-

- (1) बोर्ड प्रति वर्ष, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करेगा और उन्हें ऐसी तारीखों को या उनके पहले, जो सरकार द्वारा नियम की जाएं, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये प्रस्तुत करेगा। पुनरीक्षित बजट, मंजूर किये जाने पर, मूल बजट को अधिकांत करेगा और उस वर्ष का मंजूर किया गया बजट समझा जाएगा।
- (2) कोई भी व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट मंजूर नहीं कर दिया जाए और व्यय की बाबत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त न हो गई हो।
- (3) बजट ऐसे निदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा जो समय-समय पर जारी किये जाएं और वह ऐसे रूप में होगा, जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे। इसमें निम्नलिखित की बाबत कथन अन्तर्विष्ट होगा:
 - (i) प्राक्कलित अधिशेष;
 - (ii) धारा 17 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विभिन्न शीर्षों के अधीन प्राक्कलित प्राप्तियां;
 - (iii) निम्नलिखित शीर्षों और उपशीर्षों या ऐसे अन्य शीर्षों और उपशीर्षों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे, वर्गीकृत प्राक्कलित व्यय;

शीर्ष:-

- (क) प्रशासन;
- (ख) तम्बाकू उत्पादन और संसाधन का विकास;
- (ग) अन्तर्देशीय विपणन सुविधाएं, जिनके अन्तर्गत श्रेणीकरण भी आता है;
- (घ) अनुसंधान;
- (ङ.) कीमत अवलम्ब सक्रियाएं;
- (च) बाजार सर्वेक्षण;
- (छ) व्यापार प्रतिनिधिमंडल;
- (ज) प्रदर्शनियां और मेले;
- (झ) आंकड़े;
- (ण) संकर्म;
- (ट) प्रचार और विख्यापन;
- (ठ) अन्य।

उपशीर्ष :-

- (i) अधिकारियों का वेतन;
 - (ii) स्थापन का वेतन;
 - (iii) भत्ते, मानदेय और समरूप देय, तथा
 - (iv) अन्य प्रभार, आकस्मिक व्यय और ऐसे ही खर्च।
- (4) व्यय के अनुपूरक प्राक्कलन, यदि कोई हों, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये, ऐसे रूप में और ऐसी तारीखों को प्रस्तुत किये जाएंगे, जो उसके द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट की जाएं।

22. बोर्ड के लेखा:-

- (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों और व्यय के लेखा रखेगा;
- (2) किसी विशिष्ट वर्ष में उपगत व्यय पृथक शीर्षों और उपशीर्षों के अधीन दर्शित किया जाएगा।
- (3) अधशेष का, यदि कोई हो, उस रूप में पृथक उल्लेख किया जाएगा।
- (4) वर्ष का इतिशेष लेखाओं में सब से नीचे व्यय की और दिखाया जाएगा।
- (5) उपचय आधार पर वार्षिक कच्चा लेखा भी, आस्तियों और दायित्वों तथा आरक्षतियों और विनिधानों के ब्यौरे निकालने के लिये तैयार किया जाएगा।

23. बोर्ड की निधियों का बैंकों में निक्षेप और ऐसी निधियों का विनिधान:-

- (1) बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उपखजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक *(अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
- (2) चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में # या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा।

परन्तु बोर्ड की पेंशन निधिया भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में, अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में + (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में) आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा।

*(" स्पष्टीकरण: उप नियम (1) तथा इस उप नियम के उद्देश्य में "राष्ट्रीयकृत बैंक" जो बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण तथा उद्योग स्थानांतरण) नियम, 1970 (1970 के 5) में उल्लिखितानुसार सदस्य नया बैंक से अभिप्रेत है) "...

- (3) बोर्ड द्वारा या उसकी और से संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चैक द्वारा किया जाएगा।

* भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.1.11.1976 द्वारा प्रकाशित ü तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1976 में अन्तःस्थापित किया गया।

भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.5.1988 द्वारा प्रकाशित ü तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1988 में अन्तःस्थापित किया गया।

+ भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.1.11.1976 द्वारा प्रकाशित ü तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1976 में प्रतिस्थापित किया गया।

अध्याय - V

बोर्ड, अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक और सचिव की शक्तियाँ

24. व्यय उपगत करने और हानियों का बट्टेखाते डालने की शक्तियाँ:-

- (1) अधिनियम, इन नियमों और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्व और व्यय के सम्बन्ध में बनाए गये, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड उन मदों पर जिन के लिये बजट में सरकार द्वारा उपबन्ध किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयी रकमों के भीतर इतना व्यय कर सकेगा जितना वह उचित समझे।
- (2) + बोर्ड, उसके द्वारा दस हजार रुपए तक की उपगत हानियों को, यदि वह हानि किसी एक मामले में चोरी, कपअ और उपेक्षा के कारण हुई हो, और बीस हजार रुपए तक ही हानि को जहाँ ऐसी हानि किसी एकल मामले में लोक धन, विभायीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टैम्प, भंडार या बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त धारित किसी अन्य संपत्ति से संबंधित हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी की गई साधारण शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, अपलिखित कर सकेगा। किसी वर्ष में हानियों के अपलिखित में कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी इस रकम से अधिक की हानियाँ केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अपलिखित की जाएँगी।

(2-क) उप नियम (2) के अधीन हानियाँ बट्टेखाते डालते समय बोर्ड निम्नों को अपनाता है, क्रमश:-

- (i) यह हानि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायेगये नियमों में या बोर्ड द्वारा धारा 33 के अधीन बनाये गये विनियमों या बोर्ड द्वारा अनुसरित प्रक्रियाओं में कमी के रूप में प्रकट नहीं होती है ;
- (ii) उक्त (i) में संदर्भित नियमों, विनियमों या पक्रियाओं के साथ पालन करने में कोई प्रकट नहीं होगा;

* भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.1.11.1976 द्वारा प्रकाशित ँ तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1976 में अन्तःस्थापित किया गया।

+ भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.21.12.1988 द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1988 में संशोधित किया गया।

- (iii) यह हानि बोर्ड के कर्मचारी के गंभीर व्यपगमन या अनवधान या कार्य की लापरवाही के लिए आरोप्य नहीं किया जायेगा, यदि यह हानि बोर्ड के कर्मचारी के ऐसी व्यपगमन, अनवधान या कार्य में लापरवाही, यदि वह सही या पर्याप्त कारण दिखाने पर भी कर्मचारी से इस हानि राशि को रिलीज नहीं किया जायेगा;
- (iv) यदि अग्नि, बाढ़, भूकंप, चक्रवात वर्षा या अन्य कोई प्राकृतिक आपत्तियों के कारण हानि हो तो, तथ्यों का सही रिपोर्ट सुनिश्चित होने तथा बोर्ड के संपूर्ण संतोष प्राप्त होने पर उक्त परिस्थितियों से यह हानि वर्जनीय होगा।
- (3) व्ययों के शीर्षों के अधीन उपशीर्षों के बीच बोर्ड द्वारा पुनर्विनियोग किये जासकेंगे।
- (4) बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार पए से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगा।

25. उधार लेने की शक्तियाँ:-

बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, अपने व्ययों की पूर्ति के लिए अथवा धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों को कार्यान्वित करने के लिये, तम्बाकू निधि या अपनी अन्य आस्तियों में से किसी की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकेगा।

26. संविदाएँ:

- (1) बोर्ड अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये कोई भी संविदाएं कर सकेगा; परन्तु-

* (क) नियम 32 के उपबन्धों के अधीन वर्जीनिया तम्बाकू के लिये या उस के वास्तविक क्रय या विक्रय के लिये संविदा से भिन्न प्रत्येक संविदा, जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये हो या जिस में बीस लाख रुपये से अधिक व्यय अन्तर्गस्त हो; तथा

(ख) फर्मों और विदेशी सरकारों के साथ तकनीकी सहयोग या परामर्श सेवाओं के लिये प्रत्येक करार या संविदा, के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी।

- भारत के राजपत्र असाधारण, में दि.21.12.1988 द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1988 में संशोधित किया गया।

- (2) संविदाएं बोर्ड के लिये तब तक आबद्धकर नहीं होंगी जब तक कि उन्हें सम्बन्धित समुचित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, अध्यक्ष द्वारा या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है।
- (3) बोर्ड का न तो अध्यक्ष और न कोई अधिकारी और न उसका कोई सदस्य, बोर्ड द्वारा दिये गये किन्हीं हस्तान्तरण-पत्रों या की गई संविदाओं के अधीन वैयक्तिक रूप से दायित्वाधीन होगा और ऐसे हस्तान्तरण-पत्रों या संविदाओं के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी दायित्व का उन्मोचन बोर्ड के व्ययनाधीन धनों में से किया जाएगा।

27. साधारण वित्तीय संव्यवहार:

इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा उन में, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे।

‘28

अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:-

- (1) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- (2) अध्यक्ष को, केन्द्रीय सरकार के समक्ष इस संबंध में निर्णय लंबित रहने तक बोर्ड अथवा समिति द्वारा, जैसा मामला हो, लिए गए निर्णय के अनुसरण में बोर्ड अथवा उसकी किसी समिति द्वारा की जा रही कार्रवाई को आस्थगित रखने का अधिकार होगा।
- (3) जहां किसी मामले का बोर्ड अथवा समिति द्वारा निपटान किया जाना है और उस मामले पर निर्णय के लिए बोर्ड अथवा समिति, जैसा मामला हो, की बैठक के आयोजन तक इंतजार नहीं किया जा सकता है अथवा उस मामले से संबंधित संकल्प का बोर्ड या समिति, जैसा मामला हो, के सदस्यों के बीच परिचालन तक, अध्यक्ष स्वयं निर्णय ले सकेंगे।
- (4) जहां अध्यक्ष उप-नियम (3) के तहत निर्णय लेते हैं वहाँ वह उसे बोर्ड अथवा समिति, जैसा मामला हो, की अगली बैठक में इस मामले का अनुसमर्थन कराने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

परंतु शर्त यह है कि जहाँ बोर्ड अथवा समिति, अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई का संशोधन करती है अथवा उसे निरस्त करती है, तो यह संशोधन अथवा निरसन इस संशोधन अथवा निरसन से पूर्व की गई किसी कार्रवाई की वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा।”

मूल नियम में नियम 29 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“29

कार्यपालक निदेशक की शक्तियों एवं कर्तव्य :-

- (1) कार्यपालक निदेशक बोर्ड के प्रमुख कार्यपालक होंगे और वह इस अधिनियम के तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन बोर्ड के उचित कार्य संचालन तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
 - (2) कार्यपालक निदेशक को निम्नलिखित शक्तियों प्राप्त होंगी, अर्थात्:-
 - (i) बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना;
 - (ii) बोर्ड के सभी विभागों एवं कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना;
 - (iii) बोर्ड के कार्यों का समुचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे गए या इस अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित दस्तावेजों और रिकार्डों को मंगा सकेगा और व्यवसायों अथवा सॉर्टिंग, क्यूरिंग, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण अथवा नीलामी स्थानों सहित किसी भूमि अथवा परिसर का निरीक्षण करना अथवा निरीक्षण करवाना;
 - (iv) बोर्ड के कार्यालय के कार्य संचालन हेतु अपेक्षित आकस्मिक व्यय, आपूर्तियों अथवा सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद की संस्वीकृति प्रदान करना; तथा
 - (v) तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 में उल्लिखित उपाय करना।
 - (3) कार्यपालक निदेशक वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन तथा आंतरिक विपणन का विनियमन करने, उपजकर्ताओं को उचित, एवं लाभकारी कीमत सुनिश्चित कराने, बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उपजकर्ताओं से वर्जीनिया तंबाकू की खरीद करने, इस प्रकार क्रय की गई तंबाकू की बिक्री करने, उपजकर्ताओं के स्तर पर वर्जीनिया तंबाकू के ग्रेडिंग का संवर्धन करने, तथा तंबाकू उद्योग के संवर्धन हेतु प्रायोजन करने, सहायता प्रदान करने, समन्वयन करने या वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान करने हेतु बोर्ड की नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यपालक निदेशक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन कार्यों का निष्पादन करने में बोर्ड यूनियन, एजेंसियों, संस्थानों और प्राधिकारियों, जैसे विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आदि, जैसे प्राधिकरणों, जिनका तंबाकू उद्योग के इन पहलुओं से संबंध है, के निकट समन्वय से कार्य करते हैं और कार्य के दोहराकरण से बचा जाता है।
 - (4) कार्यपालक निदेशक अपने प्रभार के अंतर्गत कार्यों तथा उप नियम (3) में परिगणित कार्यों के बारे में बोर्ड को ऐसी आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिन्हें या सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित किया जाए।“
- मूल नियमों के नियम 30 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे अर्थात् :-

“30

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (1) सचिव, बोर्ड अथवा उसकी समितियों द्वारा किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए तथा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- (2) कार्यपालक निदेशक द्वारा यथा प्रत्यायोजित शक्तियों एवं कर्तव्यों के अधीन सचिव-
 - (क) बोर्ड में प्रस्तुत किए गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं मामलों को यथाव्यवहार्य अति शीघ्र मंगवाएंगें ;
 - (ख) बोर्ड के निर्णयों का अनुपालन कराने के तरीकों के संबंध में निदेश जारी करेंगे ;
 - (ग) बोर्ड के व्यय एवं प्राप्तियों का एक खाता रखेंगे अथवा अनुरक्षित रखवाएंगे और इस अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित विभिन्न रजिस्टर रखवाएंगें।
 - (घ) अधिनियम की धारा 10 से 13 के अंतर्गत बोर्ड में पंजीकरण हेतु उपजकर्ताओं, क्यूर्स, निर्यातकों, पैकर्स, नीलामीकर्ताओं, डीलरों, नीलामी मंचों के स्वामियों अथवा लीज प्रदाताओं से आवेदन प्राप्त करेंगे, बोर्ड की नीति, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उनकी जांच करेंगे और आवेदकों के आवेदनों पर आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेंगे अथवा अन्यथा निर्णय की सूचना देंगे।

- (ड.) अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उल्लिखित उपबंधों तथा तंबाकू बोर्ड द्वारा यथा निर्देशित दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध लिखित या मौखिक अपील प्राप्त करेंगे और उन पर समुचित कार्रवाई करेंगे।
- (च) बोर्ड के कार्यकरण संबंधी वार्षिक मसौदा रिपोर्ट अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और वह रिपोर्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्ररूप में केंद्रीय सरकार को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष पुरस्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्धारित तारीखों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।
- (छ) कार्यपालक निदेशक के सभी प्रशासनिक मामलों में तथा कार्यपालक निदेशक द्वारा यथानिर्धारित अन्य सभी मामलों के निर्वहन में सहायता करेंगे।“

***अध्याय - V क**

बोर्ड के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते

30क बोर्ड और उसकी समितियों के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्ते:

- (1) सरकारी सेवक से भिन्न, बोर्ड या किसी समिति का कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत सहयुक्त या सहयोजित सदस्य भी है; बोर्ड के या उसकी सभ्यक्त: गठित किसी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या बोर्ड या सम्बन्धित समिति द्वारा उसे सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा की गई किसी यात्रा की बाबत सरकार द्वारा बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अधीन प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवक को अनुज्ञेय उच्चतम दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (2) निकाल दिया गया।

* अध्याय Vक भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.6.9.1980 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड के (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 में अंतःस्थापित किया गया।

** भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.12.01.1985 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड के (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 के अनुसार निकाल दिया गया।)

(3) किसी सदस्य को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायगा जब तक कि वह यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि उसने यात्रा और विश्राम की बावत जिसके लिए दावा किया गया है, किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(4) यात्रा भत्ता सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से अधिवेशन के स्थान तक या ऐसे स्थान तक जहाँ वह बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी कारबार को करने के लिए गया है और उस स्थान से वापस उसके निवास स्थान तक संदेय होगा:

परन्तु जब यात्रा उसके प्रायिक निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से आरंभ होती है या समाप्त होती है तो यात्रा भत्ता उस रकम तक सीमित होगा जो तब संदेय होती जब यात्रा प्रायिक निवास स्थान से आरंभ होती और वहाँ समाप्त होती या उस रकम तक सीमित होगा जो वास्तव में की गई यात्रा को बावत संदेय है, इनमें से जो भी कम है:

परन्तु यह और भी कि विशेष परिस्थितियों में और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, अध्यक्ष किसी स्थान के प्रायिक निवास स्थान से भिन्न स्थान से यात्रा भत्ता मंजूर कर सकेगा।

(5) अध्यक्ष, बोर्ड या उसकी किसी समिति के सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्तों के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक अधिकारी होगा।

30 ख सवारी भत्ता:

बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड का कोई अन्य कारबार करने के लिए कोई सवारी भत्ता उन सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता लेते हैं।

परन्तु ऐसे सदस्य को जो ऐसे स्थान का निवासी है जहाँ बोर्ड या उसकी किसी समिति का अधिवेशन होता है या जहाँ बोर्ड के किसी अन्य कारबार का संव्यवहार होता है, उसके द्वारा सवारी पर उपगत वास्तविक खर्च का संदाय किया जा सकेगा जो प्रत्येक दिन के लिए अधिक से अधिक दस रूपए होगा।

अध्याय - VI

वर्जीनिया तम्बाकू की न्यूनतम निर्यात कीमतें तथा क्रय, विक्रय और निर्यात

28. न्यूनतम निर्यात कीमतें :

- (1) प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक बोर्ड केन्द्रिय सरकार क विचारार्थ उन न्यूनतम कीमतों की सिफारिश करेगा जो उसकी दृष्टि में वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात के लिए तथा तम्बाकू की ऐसी अन्य किस्मों के लिए, जिनके निर्यात की सम्भावना हो, नियत की जानी चाहिए ।
- (2) उक्त न्यूनतम निर्यात कीमतों की सिफारिश करने में बोर्ड, ऐसे अन्य विषयों के अतिरिक्त जो सुसंगत समझे जाएं, निम्नलिखित विषयों पर विचारा करेगा, अर्थात् :-
 - (i) पूर्ववर्ती फसलों से उपलब्ध अधिशेष और नई फसल का परिमाण ;
 - (ii) आन्तरिक उपभोग के लिए और निर्यातों के लिए कुल निर्धारित मांग ;
 - (iii) गत 12 मास के दौरान क्वालिटी-वार, औसतपोत-पर्यन्त निःशुल्क मात्रक मूल्य वसूली और गत तीन मास के दौरान कीमतों की प्रवृत्ति ;
 - (iv) खेती की लागत में परिवर्तन ;
 - (v) न्यूनतम निर्यात कीमतों को इतना आकर्षक बनाने की आवश्यकता से संगत, जिससे कि सम्पूर्ण निर्यातयोग्य अधिशेष को ध्यान में रखा जा सके उगाने वालों को उचित और लाभप्रद प्रतिफल सुनिश्चित करने की वांछनीयता
- (3) बोर्ड की सिफारिशों के साथख् उन सिफारिशों पर पहुचने के लिए विचारगत की गई आधार-सामग्री का व्यौरवार विश्लेषण होगा तथा वह रीति भी दर्शित की जाएगी जिस में उक्त सिफारिश की गई कीमतें निकाली गई हैं ।
- (4) यदि और जब बोर्ड की राय में, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिस से वर्ष के अनुक्रम में उक्त न्यूनतम निर्यात कीमतों का पुनरीक्षण आवश्यक हो जाए, अथवा जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी वांछा की जाए, तो बोर्ड, उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सिफारिश के अतिरिक्त सरकार को उस के विचारार्थ विशेष सिफारिश भी देगा ।

29. वर्जीनिया तम्बाकू का क्रय :

- (1) बोर्ड भारत में वर्जीनिया तम्बाकू उगाने वालों से उस स्थिति में जब कि यथास्थिति बोर्ड या केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि उगाने वालों के हितों के संरक्षण के लिए ऐसा कदम आवश्यक या समीचीन है, ऐसी तम्बाकू खरीद सकेगा, और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया यजाए तो उसे खरीदेगा ।
- (2) बोर्ड द्वारा इस प्रकार खरीदी गई तम्बाकू का, भारत में या विदेश में उसके द्वारा, जैसे हो और जब समुचित समझा जाए और ऐसी रीति में, जो बोर्ड ठीक समझे या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए, व्ययन किया यजाएगा ।
- (3) बोर्ड अपने द्वारा खरीदी गई वर्जीनिया तम्बाकू का सनिर्यात करने में भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम का यथासम्भव अधिकतम उपयोग करेगा ।
- (4) बोर्ड उन तम्बाकू क्रय संक्रियाओं से, जो उस के द्वारा की जाएं, केन्द्रीय सरकार को पूर्णतया अवगत रखेगा तथा ऐसे निदेशों, मार्गदर्शक निर्देशों या निर्बन्धनों आदि का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे क्रयों के बारे में जारी या अधिरोपित किया जाए, तथा निर्यातों सहित उन विक्रयों का भी, जो बोर्ड द्वारा इस प्रकार क्रय किये गए स्टार्कों में से किए जाने हैं, अनुवर्तन करेगा ।
- (5) वे कीमतें, जिन पर बोर्ड द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू खरीदी या बेची जाएगी, ऐसे मार्गदर्शक निदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट रूप से उस प्रयोजन के लिए बोर्ड को निदेशों द्वारा समय समय पर अधिरोपित करे, ऐसी होंगी, जो उस के द्वारा उपयुक्त समझी जाएं ।

अध्याय - VII

गोयरो, संसाधको, नरर्यातको, पैकरो तथा नीलामीकारो का रजिस्ट्रेशन तथा तम्बाकू डीलर

*33. वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालो का रजिस्ट्रीकरण:

(1) वर्जीनिया तम्बाकू उगाने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए, बोर्ड के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए किसी वर्ष में किसी राज्य में वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए संक्रियाएँ प्रारम्भ करने के पांच मास पूर्व, किन्तु निम्नलिखित के पश्चात् नहीं, आवेदन करेगा:

(क) कर्नाटक, ** ओडिसा और **तमिलनाडु के राज्यों में वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालो की दशा में 31 जनवरी,

(ख) गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्यों में वर्जीनिया, तम्बाकू के उगाने वालो की दशा में 31मार्च, और

(ग) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के राज्यों में वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालो की दशा में 31 मई।

(2) बोर्ड, विपणन की दशा गत वर्ष का उत्पादन, आगामी वर्ष में वर्जीनिया, तम्बाकू का प्रत्याशित उत्पादन, और अन्य संबंधित बातों को ध्यान रखते हुए उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिये अंतिम तारीख, समय-समय पर, सभी राज्यों में या किसी राज्य या किन्हीं राज्यों में बढ़ा सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 1 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ अर्न्तविष्ट होंगी।

* भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.16.5.1988 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड के (संशोधन) नियम, 1988 द्वारा संशोधित नियम 33 से 40 तक तारीख 16.05.1988 को प्रवृत्त होगा।

** ओडिसा शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.22.12.1989 को प्रकाशित अधिसूचना एफ.सं.8/11/89-ईपी (अग्रि-VI) द्वारा तारीख 2.12.1989 को प्रवृत्त होगा।

- (4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ भूमि के प्रत्येक 0.4 हेक्टेयर के लिए या उसके ऐसे भाग के लिए, जिसके संबंध में ऐसा आवेदन किया गया है, 1 रुपये की फीस होगी।
- (5) धारा 10 के अधीन मंजूर किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्ररूप 2 में होगा और ऐसे प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा।
- (6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण एक समय पर ऐसे प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित एक वर्ष की कालावधि के लिए होगा।
- (7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण केवल उस वर्ष के लिए विधिमान्य होगा, जिसके लिए उसे मंजूर किया गया है।

33क. वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त:

- (1) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट बातों का ध्यान रखते हुए वर्जीनिया, तम्बाकू के उत्पादन और संसाधन को विनियमित करने की दृष्टि से नीति अधिकथित करेगा और ऐसी नीति निम्नलिखित रीति से सभी में या किसी में प्रकाशित की जायेगी, अर्थात्, पुस्तक या पुस्तिका के रूप में या व्यापक रूप से प्रचालित समाचार पत्रों में अधिसूचना द्वारा।
- (2) बोर्ड एक समिति का (जिसे इस नियम और नियम 33 ख में इसके पश्चात् समिति कहा गया है) गठन करेगा जिसमें वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालों के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कसौटी अधिकथित करने के लिए पांच सदस्य होंगे।
- (3) कसौटी अधिकथित करते हुए सजय समिति निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी:
 - (क) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अधिकथित की गई उत्पादन नीति,
 - (ख) वर्जीनिया तम्बाकू उगाने में आवेदक का पूर्व अनुभव,
 - (ग) वह प्रसुविधार्य जो आवेदक तम्बाकू की खेती और फलू संसाधन करने के लिए रखता है,

- (घ) सुधार की हुई सांस्कृतिक पद्धतियाँ, जो उगाने वाले के द्वारा अपनाई जा रही हैं,
- (ङ.) क्या उगाने वाला नर्सरी उगाने वाला भी है?
- (च) अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों, बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों और अधिकथित अनुबन्धों का अनुपालन करने में उगाने वाले का आचरण,
- (छ) ऐसी अन्य संबन्धित बातें जो समिति आवश्यक समझे।
- (4) उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, सचिव या नियम 33 के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी आवेदनों की संवीक्षा करेगा और ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और यदि ऐसी जांच करने करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समिति द्वारा अधिकथित कसौटी को पूरा करता है तो वह यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण मंजूर कर देगा।
- (5) उपनियम (4) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी ऐसी और जानकारी किसी आवेदक से मांग सकेगा, जो वह ठीक समझे और आवेदक सचिव अथवा अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि ऐसी मांगी गई जानकारी नहीं दी जाती है तो सचिव या अन्य अधिकारी अन्य विशिष्टियों सहित आवेदन को समिति के समक्ष विचार के लिए रखेगा।
- (6) यदि किसी कारण से सचिव या अन्य अधिकारी समझता है कि रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किसी आवेदक को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए तो वह मामूली समिति के समक्ष रखा जायेगा जो, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे या तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अथवा रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण मंजूर कर सकेगी या मंजूर करने से इंकार कर सकेगी।

- (7) समिति का विनिश्चय आवेदक को ऐसे विनिश्चय की तारीख से 15 दिन के भीतर संसूचित किया जायेगा।
- (8) जहाँ समिति द्वारा रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण से इन्कार किया जाता है वह ऐसे विनिश्चय के लिए कारण भी विनिश्चय की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदक को संसूचित किया जायेगा और आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस उप-नियम (9) के अधीन किए गए व्ययपदेशन पर यदि कोई हो, पारित किए गए आदेशों के अधीन रहते हुए, आवेदक को विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र किन्तु यथा स्थिति उक्त व्यपदेशन करने के लिए परिसीमा समाप्त होने के या बोर्ड द्वारा व्यपदेशन पर आदेश पारित करने के पन्द्रह दिन पश्चात् नहीं, आवेदक को ऐसी रकम भेजने का खर्च, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् किया जायेगा।
- (9) कोई व्यक्ति जिसका आवेदन उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए समिति द्वारा नामंजूर किया गया है, ऐसे व्यक्ति को विनिश्चय की संसूचना के 30 दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

33 ख रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त-

- (1) वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वाले को मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-
- (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया था, अथवा
- (ख) संबंधित उगाने वाले ने अधिनियम के या इन नियमों अथवा किसी विनियम के अथवा बोर्ड के अनुबन्धों के किसी उपबन्धों का, जहाँ तक वह उसको लागू है अथवा किसी ऐसी शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण मंजूर किया गया था, उल्लंघन किया है।

- (2) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण रद्द नहीं किय जायेगा जब तक कि संबंधित उगाने वाले को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया होगा।
- (3) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण रद्द किया जाता है, वहाँ समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सहित विनिश्चय किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संसूचित किये जाने की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जाता है, उसको विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।
- (5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के रद्दकरण से किसी अन्य कारवाई पर, जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, जो अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन की जा सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

33 ग नर्सरी उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण:

- (1) प्रत्येक नर्सरी उगाने वाला नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए बोर्ड के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय, किसी वर्ष में किसी राज्य में संक्रियाओं के प्रारम्भके तीन मास पूर्व किन्तु निम्नलिखित के पश्चात् नहीं, आवेदन करेगा-
 - (क) कर्नाटक, * ओडिसा और तमिलनाडू में नर्सरी उगाने वालों की दशा में 31 जनवरी,
 - (ख) गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्यों में नर्सरी उगाने वालों की दशा में 31 मार्च, और
 - (ग) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में नर्सरी उगाने वालों की दशा में 31 मई।

* ओडिसा शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.22.12.1989 को प्रकाशित अधिसूचना एफ.सं.8/11/89-ईपी (अग्रि VI) द्वारा तारीख 22.12.1989 को प्रवृत्त होगा।

- (2) नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण को प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यदि वह ऐसे नवीकृत नहीं कराया जाता है तो वह उस वर्ष की समाप्ति पर, जिसके लिए वह मंजूर किया गया है, प्रभावी नहीं रह जाएगा। ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन वैसी ही रीति से किया जाएगा, जो उपनियम (1) के उपबंधित की गई है।
- (3) बोर्ड मौसम संबंधी दशाओं और अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए, नर्सरी उगाने वालों के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए या समय-समय पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए सभी राज्यों में या किसी राज्य अथवा किन्हीं राज्यों में आवेदन प्राप्त करने के लिए तारीख बढ़ा सकेगा।
- (4) नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 3 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट अंतर्विष्ट होंगी।
- (5) नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रत्येक 0.1 हैक्टेयर या उसके भाग के लिए 50 रूपए की फीस होगी।
- (6) नर्सरी उगाने वाले के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को प्ररूप 4 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया जायेगा जो ऐसा शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जा सकेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

33 घ नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण अथवा रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त:

- (1) बोर्ड एक समिति का [जिसे इसके पश्चात् इस नियम में और नियम 33 च में समिति कहा गया है] गठन करेगा, जिसमें वर्जीनिया तम्बाकू के नर्सरी उगाने वालों के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कसौटी अधिकथित करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) कसौटी को अधिकथित करते हुए समिति निम्नलिखित बातों का ध्यान रख रखेगी-
 - (क) आगामी वर्ष के दौरान वर्जीनिया तम्बाकू के बीजोत्पन्न पौधों के लिए प्रत्याशित मांगा,
 - (ख) बीजों की वह किस्म, जो उपयुक्त समझी जायेगी,
 - (ग) नर्सरी विकसित करने के लिए मिट्टी और स्थल की उपयुक्ता,
 - (घ) आशवासित जल प्रदाय की उपलब्धता,
 - (ङ.) तम्बाकू नर्सरी विकसित करने में आवेदक का पूर्ण अनुभव,
 - (च) अधिनियम के उपबन्धों इन नियमों और विनियमों, बोर्ड की शर्तों और अनुबन्धों का अनुपालन करने में आवेदक का आचरण, और
 - (छ) ऐसी अन्य आवश्यक शर्तें, जो वह ठीक समझे।
- (3) नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या नियम 33 ग के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी आवेदनों की संवीक्षा करेगा और वह ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और यदि ऐसी जांच करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समिति द्वारा अधिकथित कसौटी को पूर्ण करता है तो वह यथा स्थिति रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण मंजूर करेगा।

- (4) उपनियम (3) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त नियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी किसी आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा, जो वह ठीक समझे और आवेदक इस प्रकार मांगी गई ऐसी और जानकारी सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी नहीं दी जाती है तो सचिव या अन्य अधिकारी आवेदन को अन्य विशिष्टियों सहित समिति के समक्ष विचार के लिए रखेगा।
- (5) यदि किसी कारण से सचिव या अन्य अधिकारी यह समझता है कि रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किसी आवेदक को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए तो मामला समिति के समक्ष रखा जायेगा, जो ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसको वह ठीक समझे ऐसा रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण या तो मंजूर कर सकेगी अथवा उससे इन्कार कर सकेगी।
- (6) समिति का विनिश्चय आवेदक को विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित किया जायेगा।
- (7) जहाँ रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण समिति द्वारा मंजूर किया जाता है वहाँ ऐसे विनिश्चय के लिए कारण भी आवेदक को विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर विनिश्चय सहित संसूचित किए जाएंगे और आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस, उपनियम (8) के अधीन किये गये व्यपदेशन पर यदि कोई हो पारित आदेशों के अधीन रहते हुए, आवेदक को विनिश्चय के तीस दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र किन्तु यथास्थिति उक्त व्यपदेशन करने के लिए परिसीमा की समाप्ति के अथवा बोर्ड के व्यपदेशन पर आदेश पारित करने के पश्चात् 15 दिन के पश्चात् नहीं आवेदक को ऐसी रकम भेजने के खर्च की, यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
- (8) कोई व्यक्ति, जिसका नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया गया है, उसको विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

33 ड. नर्सरी उगाने वालों के द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां --

- (1) प्रत्येक नर्सरी उगाने वाला प्ररूप 5 और प्ररूप 6 में रजिस्टर रखेगा और यउन्हें ब्रड के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।
- (2) प्रत्येक नर्सरी उगाने वाला सचिव को या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप 7 और प्ररूप 8 में विवरणियां उनमें विनिर्दिष्ट समय पर प्रस्तुत करेगा।

33 च नर्सरी उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया और सिध्दात-

- (1) नर्सरी उगाने वाले को मंजूर किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-
 - (क) ऐसा रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर अभिप्राप्त किया गया था, या
 - (ख) संबंधित नर्सरी उगाने वाले ने अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अथवा उसके अधीन बनाये गये इन नियमों या किसी विनियम का अथवा ऐसी किसी शर्त का, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण या एसका नवीकरण मंजूर किया गया था, उल्लंघन किया है ।
- (2) इन नियमों के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण तब तक रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।
- (3) जहां रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण रद्द किया जाता है वहां समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सहित विनिश्चय किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र सचिव द्वारा संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जाता है, उस व्यक्ति को विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड की व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात व्यपदेशन पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

- (5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या उसके नवीकरण से किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर, जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किया जा सकता है।

34. वर्जीनिया तम्बाकू के संसाधकों का रजिस्ट्रीकरण-

- (1) प्लू संसाधन से भिन्न प्रक्रिया द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू को संसाधन करने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोर्ड के पास संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे तम्बाकू के संसाधन का प्रारम्भ के तीन मास पूर्व सचिव या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी को आवेदन करेगा जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए । यदि संसाधक धारा 10 के अधीन उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी चाहता है संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसी समय पर किया जायेगा जब उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

- (2) (क) संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक वर्ष नवीकृत किया जाना होगा और यदि वह इस प्रकार नवीकृत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण उस वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा, जिसके लिए वह मंजूर किया गया था ।

(ख) ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन सचिव को या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी को किया जायेगा, जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।

- (3) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन जिसके अन्तर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन भी है, प्ररूप 9 में होगा ।

- (4) संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 5 रूपए की फीस होगा:

परन्तु वर्जीनिया तम्बाकू के किसी ऐसे उगाने वाले से जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया है और जिसका आशय वर्जीनिया तम्बाकू उगाने का है, यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे संसाधक के रूप में किसी पृथक फीस का संदाय करे।

- (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जहां मंजूर किया गया हो, प्ररूप 10 में होगा।

34 क संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त-

- (1) बोर्ड एक समिति का (जिसे इसके पश्चात इस नियम और नियम 34 ख में समिति कहा गया है) गठन करेगा जिसमें नियम 34 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की संवीक्षा करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) नियम 34 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह आवश्यक समझे और अपनी सिफारिश सहित आवेदन को उपनियम (1) के अधीन गठित समिति को भेजेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी आवेदक द्वारा नहीं दी जाती है तो समिति आवेदन को नामंजूर कर सकेगी ।
- (4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति उपनियम (8) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदनों पर विचार करेगी और रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते हुए या उसका नवीकरण करते हुए या ऐसे रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करने से या उसका नवीकरण करने से इंकार यकरते हुए उस पर ऐसा विनिश्चय करेगा, जो वह ठीक समझे।
- (5) जहां समिति उपनियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण की मंजूरी को नामंजूर करती है अथवा उपनियम (4) अधीन रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण मंजूरी करने से इंकार करती है, वहां वह ऐसे विनिश्चय के लिए कारण अभिलिखित करेगी।
- (6) रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए इंकार करने वाला समिति का विनिश्चय ऐसे विनिश्चय के लिए कारणों सहित सचिव या उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा आवेदक को विनिश्चय की तारीख से द्रष्ट दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा।

(7) जहां रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन को समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है वहां आवेदक द्वारा संदाय की गई फीस उपनियम (9) (ख) के अधीन किए गए व्यपदेशन पर, यदि कोई हो, पारित आदेशों के अधीन रहते हुए आवेदक को विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के पश्चात यथासव्यशीघ्र किन्तु यथास्थिति उक्त व्यपदेशन करने के लिए परिसीमा समाप्त होने के या बोर्ड द्वारा उस व्यपदेशन पर आदेश पारित करने के पश्चात पन्द्रह दिन के पश्चात नहीं, आवेदक को ऐसी रकम भेजने के खर्च की उसमें से कटौती करने के पश्चात, वापस कर दी जाएगी।

(8) (क) वर्जीनियां तम्बाकू के संसाधक के रूप में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण करने में अथवा रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने से इंकार करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा :-

- (i) उपस्कर और अन्य प्रसुविधाएं जो आवेदक के पास हैं और वर्जीनियां तम्बाकू का संसाधन करने में आवेदक का अनुभव;
- (ii) उत्पादन का विनियमन करते हुए बोर्ड की उत्पादन नीति;
- (iii) तम्बाकू की कुल मात्रा, जिसे विशेष प्रदेश में संसाधित किए जाने की आशा की जाती है;
- (iv) संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, और
- (v) ऐसी अन्य बातें जो समिति ठीक समझे।

(ख) संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने या नवीकरण से इंकार करने में, खंड (क) में वर्णित विषयों के अतिरिक्त इस बात की भी ध्यान रखा जाएगा कि संसाधक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर बनाए रखे जा रहे हैं या नहीं और प्रस्तुत किए जा रहे हैं या नहीं और अधिनियम के उपबन्धों के नियमों, बोर्ड के विनियमों, रजिस्ट्रीकरण की शर्तों और अनुबन्धों का जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाई जाएं, अनुपालन करने में उसका पिछला आचरण कैसा है।

(9) कोई व्यक्ति, जिसके संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन को समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए उसको विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर कोई भी व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

34 ख संसाधक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां :-

(1) नियम 34 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक संसाधक सचिव या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को निम्नलिखित विवरणियां प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-

(क) संसाधन पूरा करने के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप 11 में विवरणी;

(ख) संसाधित तम्बाकू के व्ययन के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप 12 में विवरणी।

34 ग संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त :-

(1) संसाधक के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण को समिति द्वारा रद्द किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-

(क) रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर अभिप्राप्त किया गया था, या

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम उपबन्धों में से किसी का या उसके अधीनप बनाए गए इन नियमों या विनियमों में से किसी का या अनुज्ञप्ति के अनुबन्धों और शर्तों में से किसी का या इस अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का उल्लंघन किया है।

(2) संसाधक के रूप में मंजूर किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर न दिया गया हो।

(3) जहां कोई रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाता है वहां समिति का विनिश्चय, उसके लिए कारणों सहित, विनिश्चय किए जाने के पश्चात यथा सम्भव शीघ्र सचिव द्वारा संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना का तारीख से ही प्रभावी होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा रद्द किया गया है, उस का विनिश्चय की सुसूचना से तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को, व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे व्यपदेशन पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

- (5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर जिसके अर्न्तगत अभियोजन भी है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन, की जा सकती है।

34 घ वर्जीनियां तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण : --

- (1) वर्जीनियां तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को, किया जाएगा, जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए और यथास्थिति सचिव या अन्य अधिकारी तक, उस कलेंडर वर्ष के, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के 1 नवम्बर से पहले पहुंचेगा।
- (2) (क) प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यदि वह ऐसे नवीकृत नहीं कराया जाता है तो वह उस वर्ष की समाप्ति पर, जिसके लिए वह मंजूर किया गया है, निष्प्रभाव हो जाएगा।
- (ख) ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन बोर्ड के मुख्यालय में उस वर्ष के, जिसके लिए नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के 30 नवम्बर के पूर्व अवश्य पहुंचना चाहिए।
- (3) प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माणकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 13 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी।

- (4) * रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट फीस होगी :--

सारणी

आवेदक का प्रवर्ग	तम्बाकू का परिमाण	संदेय फीस
(i) प्रसंस्करणकर्ता “क” वर्ग	यदि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत तम्बाकू का औसत परिमाण दस हजार मैट्रिक टन से अधिक है	20,000/- रूपए
“ख” वर्ग	5,000 हजार मैट्रिक टन से अधिक 10,000 मैट्रिक टन तक।	16,000/- रूपए
“ग” वर्ग	1,000 मैट्रिक टन से अधिक 5,000 मैट्रिक टन तक।	10,000/- रूपए
“घ” वर्ग	1,000 मैट्रिक टन या उससे कम।	4,000/- रूपए
(ii) विनिर्माता “क” वर्ग	यदि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान विनिर्मित उत्पादन का औसत मूल्य 30 करोड़ रूपए से अधिक है।	30,000/- रूपए
“ख” वर्ग	1 करोड़ रूपए से अधिक और 30 करोड़ रूपए तक।	20,000/- रूपए
“ग” वर्ग	20 लाख रूपए से अधिक और 1 करोड़ रूपए से कम।	10,000/- रूपए
“घ” वर्ग	20 लाख रूपए या उससे कम।	2,000/- रूपए

- (5) प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है या जिसका रजिस्ट्रीकरण उस रूप में नवीकृत किया गया है, प्ररूप 14 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जा सके जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

* भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.9.10.1998 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1998 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

34ड. वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त:

- (1) बोर्ड एक समिति का (जिसे इसके पश्चात् इस नियम और नियम 34छ में समिति कहा गया है) गठन करेगा जिसमें वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की संवीक्षा करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति कर सचिव या नियम 34घ की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह ठीक, समझे और समिति की अपनी सिफारिशों सहित आवेदन भेजेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए उक्त उपनियम में निर्दिष्ट सचिव या अन्य अधिकारी आवेदक से ऐसी और जानकारी मंगा सकेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसा आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि ऐसी जानकारी आवेदक द्वारा नहीं दी जाती है तो समिति आवेदन को अस्वीकार कर सकेगी।
- (4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए उपनियम (7) के अनुसार आवेदनों पर विचार करेगी और रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करते हुए या उसका नवीकरण करते हुए अथवा रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करने से या उसका नवीकरण करने से इंकार करते हुए, उस पर ऐसा विनिश्चय करेगी जो ठीक समझा जाए।
- (5) जहाँ समिति उपनियम (3) के अधीन किसी आवेदन को नामंजूर करती है या उपनियम (4) के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण मंजूर करने से इंकार करती है, वहाँ वह अपने विनिश्चय के लिए कारणों को अधिलिखित करेगी। समिति का विनिश्चय ऐसे विनिश्चय के कारणों सहित समिति द्वारा विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा।
- (6) जहाँ रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है वहाँ आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस आवेदन सहित उपनियम (8) के अधीन रहते हुए, विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, किन्तु यथास्थिति उक्त व्यपदेशन करने के लिए परिसीमा की समाप्ति या उस व्यपदेशन पर बोर्ड द्वारा आदेश पारित करने के पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं, आवेशक को ऐसी रकम भेजने के खर्च की, यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।

- (7) (क) प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर करने या उसका नवीकरण करने अथवा रजिस्ट्रीकरण को रजिस्टर करने या उसका नवीकरण करने से इंकार करने में वर्जीनिया तम्बाकू का प्रसंस्करण या विनिर्माण करने से संबंधित विषयों में व्यक्ति के अनुभव और आचरण का ध्यान रखा जाएगा।
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने या नवीकरण करने से इंकार करने में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या आवेदक अधिनियम के उपबन्धों, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों और रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का पालन करता रहा है और क्या वह अधिनियम और अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों और विनियमों के अनुसरण में समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करता रहा है और यह भी कि क्या संस्करणकर्ता या विनिर्माता उसके द्वारा रखे जाने के लिए अक्षित रजिस्ट्रारों को रखता रहा है और उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों को प्रस्तुत करता रहा है और क्या प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों और दूसरों को जिनसे तम्बाकू का क्रय किया गया है, पत्ती क्रय बाउचर देता रहा है जिसमें परिमाण, श्रेणी किस्म और दर प्रति क्विंटल तथा बोर्ड द्वारा अनुबद्ध या विनिश्चय रूप में तम्बाकू की कीमत के रूप में शोध्य कुल रकम दर्शित की गई हो।
- (8) कोई व्यक्ति, जिसका प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया गया है, बोर्ड को समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए, ऐसे व्यक्ति को विनिश्चय को संसूचना के तीस दिन के भीतर व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

34च वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां :

- (1) वर्जीनिया तम्बाकू का प्रत्येक प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता प्ररूप 15, में रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक विनिर्माता जो तम्बाकू त्पादों का निर्यातक भी है, प्ररूप 16 में रजिस्टर रखेगा । प्रसंस्करणकर्ताओं और विनिर्माताओं द्वारा रखी जाने वाले रजिस्टर किसी भी समय मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।
- (2) (क) प्रत्येक प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता सचिव या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप 17 में मासिक विवरणी उत्तरवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा ।
(ख) प्रत्येक विनिर्माता, जो तम्बाकू उत्पाद का निर्यातक भी है, सचिव या खंड (क) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी को प्ररूप 18 में मासिक विवरणी उत्तरवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा ।

34 छ. वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त सिद्धान्त:

- (1) वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा रद्द किया जा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि :
 - (क) रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया था, या
 - (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए इन नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया है, या
 - (ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के किसी उपबन्ध विशेष रूप से धारा 8 क, इन नियमों और किसी विनियम के, बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित या पुनः स्थापित निबन्धनों, शर्तों और अनुबन्धों के अनुसरण में बोर्ड द्वारा अधिकथित या पुनः स्थापित मापों के संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकथित विनियमों, निबन्धनों, शर्तों और अनुबन्धों में से किसी का उल्लंघन किया है ।

- (2) इस नियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर नहीं दिया गया हो ।
- (3) जहाँ रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाता है, वहाँ उसके लिए कारणों सहित समिति का विनिश्चय सचिव द्वारा संबंधित व्यक्ति को विनिश्चय के पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा रद्द किया जाता है, विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को व्यपदेशन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति की सुनवाई का यथा युक्ति अवसर देने के पश्चात, व्यपदेशन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वही ठीक समझे।
- (5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन, की जा सकती है।

34 ज. वाणिज्यिक श्रेणीकर्ताओं का अनुपालन:

- (1) वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में कार्य करने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस कलेंडर वर्ष के, जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है, पूर्ववर्ती वर्ष के 1 नवंबर, से पूर्व वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञापन के लिए सचिव या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी को, जो इन निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आवेदन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति को प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यदि वह ऐसे नवीकृत नहीं कराई जाती है तो वह उस वर्ष की समाप्ति पर, जिसके लिए वह मंजूर की गई है, प्रभावी नहीं रहेगी। अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन उस वर्ष के, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के 30 नवंबर, से पूर्व किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति और अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप 19 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और उसके साथ 250/-रूपए की फीस होगी।

(4) बोर्ड के पास अनुज्ञापित प्रत्येक व्यक्ति को प्रारूप 20 में अनुज्ञप्ति दी जाएगी जोएगी जो ऐसी शर्तों के, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए, अधीन रहते हुए जारी की जा सकेगी।

34 झ. वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त:

(1) बोर्ड एक समिति का (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम और नियम 34 ट में समिति कहा गया है) गठन कर सकेगा जिसमें वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदनों की समीक्षा करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।

(2) वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदनों की प्राप्ति पर सचिव या नियम 34झ के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह आवश्यक समझे और समिति को अपनी सिफारिशों सहित आवेदन भेजेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी आवेदन से ऐसी और जानकारी मंगा सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर इस प्रकार मांगी गई और जानकारी देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी आवेदक द्वारा नहीं दी जाती है तो समिति आवेदन को अस्वीकार कर सकेगी।

(4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति उपनियम (7) के अनुसार वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदनों पर विचार करेगी और अनुज्ञप्ति मंजूर करते हुए या उसका नवीकरण करते हुए अथवा अनुज्ञप्ति को मंजूर करने से या उसका नवीकरण करने से इन्कार करते हुए, जो ठीक समझा जाए, ऐसा विनिश्चय करेगी।

- (5) जहाँ कोई समिति उपनियम (3) के अधीन किसी आवेदन को अस्वीकार करती है या उपनियम (4) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करती है, वहाँ वह अपने विनिश्चय के लिए कारणांके को अभिलिखित करेगी। समिति का विनिश्चय के लिए कारणों को अभिलिखित करेगी। समिति का विनिश्चय सचिव द्वारा आवेदक को विनिश्चय की तारीख से 15 दिन के भीतर उसके लिए कारणों सहित संसूचित किया जाएगा।
- (6) जहाँ अनुज्ञप्ति की मंजूरी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किसी आवेदन को समिति द्वारा अस्वीकार किया जाता है, वहाँ आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस आवेदन सहित, उपनियम (8) के अधीन किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, पारित आदेशों के अधीन रहते हुए, आवेदक को विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के पश्चात् किन्तु यथास्थिति उक्त अभ्यावेदन करने के लिए परिसीमा समाप्त होने के या उस अभ्यावेदन पर बोर्ड द्वारा आदेश पारित करने के पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं, यथाशक्य शीघ्र आवेदक को ऐसी रकम भेजने का खर्च उसमें से काठने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
- (7) (क) वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उसका नवीकरण करने अथवा अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करने में उपस्कर और अन्य प्रसुविधाओं का जो आवेदक के पास वाणिज्यिक श्रेणीकरण का कार्य हाथ में लेने के लिए हैं और वर्जीनिया तम्बाकू का श्रेणीकरण करने में व्यक्ति के अनुभव का भी ध्यान रखा जाएगा।
- (ख) वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करने में, खंड (क) में वर्णित विषयों के अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता अधिनियम के उपबन्धों, अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों और विनियमों, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करता रहा है और क्या वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता नियम 34 अ के अधीन यथास्थिति रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रों को रखता रहा है और उसके वरा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों को प्रस्तुत करता रहा है।

- (8) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण के लिए समिति द्वारा नामंजूर किया गया है, बोर्ड को विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के निनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

34 ज. वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ:

- (1) प्रत्येक वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता प्ररूप 21 में रजिस्टर रखेगा, जो श्रेणीकरण के स्थान पर रखा जाएगा और सत्यापन के प्रयोजन के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (2) प्रत्येक वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता सचिव या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी को, जो अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, प्ररूप 22 में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

34 ट वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त:

- (1) वाणिज्यिक श्रेणीकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति समिति द्वारा रद्द की जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि:
- (क) अनुज्ञप्ति या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर अभिप्राप्त किया गया था, या
- (ख) व्यक्ति ने अधिनियम के किसी उपबन्ध, इन नियमों या विनियमों में से किसी का अथवा अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों अथवा अधिनियम या इन नियमों के अनुसरण में जारी किए गए बोर्ड के निदेशों का उल्लंघन किया है।
- (2) इस नियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति या उसका नवीकरण रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर न दिया गया हो।

- (3) जहाँ कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई है वहाँ समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सहित सचिव द्वारा विनिश्चय किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति समिति द्वारा रद्द की गई है, समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड को विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति की स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अभ्यावेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।
- (5) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण से किसी ऐसी अन्य कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन, जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, की जा सकती है।

34 ठ कोठार के सन्निमणि के लिए अनुज्ञप्ति:

- (1) वर्जीनिया तम्बाकू के धुआ संसाधन के लिए कोठार का सन्निर्माण करने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोठार के सन्निर्माण की अनुज्ञप्ति के लिए, उस क्षेत्र में, जिसमें कोठार का सन्निर्माण किया जाता है, संसाधन के प्रारम्भ से नौ मास पूर्व सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आवेदन करेगा।
- (2) किसी कोठार के सन्निर्माण की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप 23 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियाँ अन्तर्वष्ट होंगी। आवेदन के साथ 25 रूपए की फीस होगी।
- (3) जहाँ किसी व्यक्ति को वर्जीनिया तम्बाकू के संसाधन के लिए कोठार का सन्निर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति दिया जाता है, वहाँ उसे प्ररूप 24 में अनुज्ञप्ति दी जायेगी। कोठार का सन्निर्माण ऐसे सन्निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति की तारीख से छह मास के भीतर पूरा किया जाएगा और उसके पूरे होने के तथ्य की रिपोर्ट सचिव या उपनियम (1) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी को एक मास के भीतर की जाएगी:

परन्तु नियम 34ठ के अधीन कोठार के सन्निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए गठित समिति, आवेदक के अनुरोध पर सन्निर्माण के पूरा करने के लिए कालावधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकेगी जो समिति ठीक समझे।

- (4) यदि कोई व्यक्ति, जिसने बोर्ड से अनुज्ञप्ति लेकर कोठार का सन्निर्माण किया है किसी अन्य उपयोग के लिए संरचना का उपान्तरण करना चाहता है या उसे नष्ट करना चाहता है तो वह बोर्ड को पूर्व सूचना देकर ऐसा कर सकता है। सन्निर्माण के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति ऐसी सूचना की तारीख से रद्द हो जाएगी।

34 ड कोठार के सन्निर्माण की अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त :

- (1) बोर्ड समिति का (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में समिति कहा गया है) गठन करेगा जिसमें कोठार का सन्निर्माण करने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की संवीक्षा करने के लिए बोर्ड के 5 सदस्य होंगे ।
- (2) कोठार के सन्निर्माण की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या नियम 34 ठ के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और समिति को अपनी सिफारिशों सहित आवेदन भेजेगा ।
- (3) उपनियम (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या अन्य अधिकारी, जिसे उक्त उपनियम में निर्दिष्ट किया गया है, आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा जो वह ठीक समझे और आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी आवेदक द्वारा नहीं जाती है तो समिति आवेदन को नामंजूर कर सकेगी ।
- (4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति उपनियम (5) के अनुसार आवेदनों पर विचार करेगी और अनुज्ञप्ति को या तो मंजूर करते हुए या नामंजूर करते हुए ऐसा विनिश्चय करेगी जो ठीक समझा जाए ।

(5) कोठार का सन्निर्माण करने के लिए व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने में निम्नलिखित विषयों का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात् :

- (I) राज्य या क्षेत्र में उपलब्ध कोठारों की कुल संख्या,
- (II) वह स्थान जहां कोठार का सन्निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, आन्तरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों प्रकार से वर्जीनियां तम्बाकू के लिए मांग,
- (III) उस विशिष्ट क्षेत्र या प्रदेश की वर्तमान और भविष्य में प्रत्याशित मांग,
- (IV) जहां कोठार का सन्निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, वहां कोठार चलाने में व्यक्ति का पिछला अनुभव,
- (V) उपजीविका और उन कोठारों की संख्या जो पहले से ही उस व्यक्ति के कब्जे में हैं जो कोठार का सन्निर्माण करने का आशय रखता है ।

(6) जहां समिति उपनियम (3) के अधीन किसी आवेदन को नामंजूर करती है या उपनियम (4) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने से इन्कार करती है, वहां वह अपने विनिश्चय के लिए कारणों को अभिलिखित करेगी और वह विनिश्चय सचिव द्वारा आवेदक की विनिश्चय की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के लिए कारणों सहित संसूचित किया जाएगा ।

(7) जहां आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, वहां आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस, आवेदन सहित उपनियम (8) के अधीन किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हों, पारित आदेश के अधीन रहते हुए आवेदक को विनिश्चय की तारीख से तीस नि के पश्चात्, किन्तु यथास्थिति उक्त अभ्यावेदन के लिए परिसीमा समाप्त होने के या बोर्ड द्वारा उस अभ्यावेदन पर आदेश पारित करने के पश्चात् पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं, यथाशक्य शीघ्र आवेदक को ऐसी रकम भेजने का खर्च उसमें से काटने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी ।

- (8) कोई व्यक्ति, जिसका नियम 34 ठ के अधीन कोठार का सन्निर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, बोर्ड को उसको विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड आवेदक को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

34 ढ. कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति :

- (1) वर्जीनियां तम्बाकू के धुआं संसाधन के लिए कोठार चलाने का आशय रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आगामी वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के लिए किसी क्षेत्र में कोठारा चलाने को प्रारम्भ करने के पांच मास पूर्व, किन्तु निम्न लिखित के पश्चात् नहीं, आवेदन करेगा :-

(क) कर्नाटका, *ओडिसा और तमिलनाडु के राज्यों में 31 जनवरी,

(ख) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में 31 मई, और

(ग) गुजरात और उत्तरप्रदेश राज्यों में 31 मार्च ।

* ओडिसा शब्द भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.22.12.1989 को प्रकाशित अधिसूचना एफ.सं.8/11/89-ईपी (अग्रि VI) द्वारा तारीख 22.12.1989 को प्रवृत्त होगा।

- (2) कोठार चलाने के लिए प्राप्त कही गई अनुज्ञप्ति को प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यदि वह इस प्रकार नवीकृत नहीं कराई जाती है तो वह उस वर्ष की, जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था, समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जाएगी। ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन उसी रीति से किया जाएगा जैसे नया आवेदन किया जाता है।
- (3) किसी कोठार के चलाने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 25 में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और उसके साथ प्रत्येक कोठार के लिए 10 रूपए की फीस होगी।
- (4) जहां किसी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है, वहां उसे प्ररूप 26 में अनुज्ञप्ति दी जाएगी।

34 ण कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्तः

- (1) बोर्ड एक समिति का (जिसे इसके पश्चात् इस नियम और नियम 34 त में समिति कहा गया है) गठन कर सकेगा जिसमें कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण की मंजूरी के लिए कर्साटी अधिकथित करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) कर्साटी अधिकथित करते हुए समिति निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :--
 - (क) बोर्ड द्वारा उस वर्ष के लिए, जिसके लिए कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाना है, नियम 33क के उपनियम (1) के अधीन बनाई गई उत्पादन नीति ;
 - (ख) तम्बाकू का संसाधन करने के लिए उपलब्ध कोठारों की संख्या ;
 - (ग) उन कोठारों की संख्या जिनके लिए किसी आवेदक द्वारा उन्हें चलाने के लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है;
 - (घ) वर्जीनियां तम्बाकू के धूआ संसाधन में आवेदक का अनुभव ;
 - (ङ.) उस कोठार की दशा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है ;

(च) किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण की दशा में अधिनियम, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों और विनियमों तथा आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निबन्धनों और शर्तों, बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों और अधिकथित अनुबन्धों का अनुपालन करने में अनुज्ञप्तिधारी का आचरण;

(छ) ऐसे अन्य संबंधित तथ्य, जो समिति इस प्रयोजन के लिए सुसंगत समझे ।

- (3) कोठारों के चलाने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या नियम 34 ड के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अन्य अधिकारी आवेदनों की समीक्षा करेगा और वह ऐसी जांच कर सकेगा, जैसी वह ठीक समझे । यदि ऐसी जांच करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन उपनियम (1) के अधीन गठित समिति द्वारा अधिकथित कसौटी को पूरा करता है तो वह यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को मंजूरी दे देगा ।
- (4) उपनियम (3) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा, जो वह ठीक समझे और आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी और जानकारी देगा । यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी नहीं दी जाती है तो सचिव या अन्य अधिकारी अन्य विशिष्टियों सहित आवेदन को समिति के समक्ष विचारण के लिए रखेगा ।
- (5) यदि किसी कारण से सचिव या उपनियम (3) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी यह समझता है कि अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का नवीकरण आवेदक को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए तो वह मामले को समिति को समक्ष रखेगा जो ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को या तो मुजूर कर सकेगी या उससे इन्कार कर सकेगी ।
- (6) समिति का विनिश्चय आवेदक को विनिश्चय की तारीख से 15 दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा ।

(7) जहां अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण को समिति द्वारा, नामंजूर किया जाता है, वहां ऐसे विनिश्चय के लिए कारण भी आवेदक को विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित किए जाएंगे और आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस, उपनियम (8) के अधीन किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, पारित किए गए आदेश के अधीन रहते हुए आवेदक को विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के पश्चात् किन्तु यथास्थिति उक्त अभ्यावेदन करने के लिए परिसीमा की समाप्ति के या बोर्ड द्वारा उस अभ्यावेदन पर आदेश पारित करने के पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं, यथाशक्य शीघ्र ऐसे प्रतिदाय करने का खर्च काटने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी ।

(8) कोई व्यक्ति जिसका कोठार चलाने की अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, बोर्ड को विनिश्चय को संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए व्यादेशन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो यह ठीक समझे ।

34 त कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां :

कोठार चलाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक व्यक्ति सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए प्ररूप 27 में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

34 थ कोठार चलाने के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के रद्दकरण के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त:

(1) कोठार चलाने के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि :--

(क) अनुज्ञप्ति गलत जानकारी देकर प्राप्त की गई थी; या

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम के उपबन्धों, अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों या किसी विनियम या अनुज्ञप्ति की शर्तों या बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों या अधिकथित अनुबन्धों का उल्लंघन किया है।

- (2) इस नियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर न दिया गया हो।
- (3) जहाँ कोई अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है, वहाँ समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सहित सचिव द्वारा, विनिश्चय किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा।
- (4) कोई व्यक्ति जिसकी अनुज्ञप्ति समिति द्वारा रद्द की जाती है, बोर्ड को विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् अभ्यावेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- (5) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण से किसी ऐसी अन्य कार्यवाई पर, जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

35. तम्बाकू के निर्यातकर्ता या पैकर या नीलामकर्ता या उसके व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण-

- (1) तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद के निर्यातकर्ता के रूप में या तम्बाकू के पैकर या नीलामकर्ता या उसके व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक, आवेदन इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि वह सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी के पास, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, उस कलैण्डर वर्ष के, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के एक नवम्बर के पहले पहुँच जाए।
- (2) (क) निर्यातकर्ता, पैकर नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को प्रत्येक वर्ष नवीकृत कराना होगा और यदि वह ऐसे नवीकृत नहीं कराया जाता है तो उस वर्ष की समाप्ति पर, जिसके लिए वह किया गया है, प्रभावी नहीं रह जाएगा।
(ख) ऐसे नवीकरण के लिए आदेश बोर्ड के मुख्य कार्यालय में उस वर्ष के, जिसके लिए नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के 30 नवम्बर के पहले पहुँच जाना चाहिए।

(3) तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में या तम्बाकू के पैकर अथवा नीलामकर्ता अथवा उसके व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक, आवेदन, जिसके अन्तर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन भी है, प्ररूप 13V में होगा और उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी।

(4) * उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए और उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट फीस होगी, अर्थात्:-
सारणी

आवेदक का प्रवर्ग	संदेय फीस
क. निर्यातकर्ताओं	
(I) विनिर्मित तम्बाकू के निर्यातकर्ता	यदि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा अधिनिर्मित तम्बाकू के निर्यात का औसत वार्षिक मूल्य पचास लाख रूपए से अधिक होता है तो 6000/-रूपए; यदि अधिनिर्मित तम्बाकू के निर्यात का ऐसा औसत वार्षिक मूल्य दस लाख रूपए से अधिक होता है और पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है तो 4000/- रूपए और जहाँ अविनिर्मित तम्बाकू के निर्यात का ऐसा औसत मूल्य दस लाख रूपए से अधिक नहीं होता है, वहाँ 1000/- रूपए।
(II) विनिर्मित तम्बाकू के निर्यातकर्ता	1000/- रूपए

* भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.9.10.1998 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

<p>ख. तम्बाकू के पैकर और उसके व्यौहारी</p>	<p>यदि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आवेदक की औसत वार्षिक कुल बिक्री दस लाख रूपए से अधिक है तो 1000/- रूपए; यदि ऐसी औसत वार्षिक बिक्री दस लाख रूपए से अधिक नहीं है तो 500/-रूपए।</p>
---	---

स्पष्टीकरण: इस सारणी में “ विनिर्मित तम्बाकू ” और “ विनिर्मित तम्बाकू ” पदों का वही अर्थ है जो उनका केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में है।

- (5) उपनियम (1) के अधीन निर्मातकर्ता, पैकर, नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को प्ररूप 14 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए, जारी किया जा सकेगा।
36. **तम्बाकू के निर्यातकर्ता, पैकर, नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त:**
- (1) बोर्ड एक समिति का (जिसे इसके पश्चात् इस नियम और नियम 38 में समिति कहा गया है) गठन कर सकेगा जिसमें नियम 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदनों की समीक्षा करने के लिए बोर्ड के पांच सदस्य होंगे।
- (2) नियम 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर सचिव या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह आवश्यक समझे और आवेदनों को अपनी सिफारिशों सहित उपनियम (1) के अधीन गठित समिति को भेजेगा।

- (3) उपनियम (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए सचिव या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी आवेदक से ऐसी और जानकारी मांग सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा आवेदक सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी और जानकारी देगा और यदि इस प्रकार मांगी गई जानकारी आवेदक द्वारा नहीं दी जाती है तो समिति आवेदन को नामंजूर कर सकेगी।
- (4) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए उपनियम (7) के अनुसार आवेदनों पर विचार करेगी और यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते हुए या उसका नवीकरण करते हुए अथवा रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करते हुए उन पर ऐसा विनिश्चय करेगी।
- (5) जहाँ समिति उपनियम (3) के अधीन किसी आवेदन को नामंजूर करती है या उपनियम (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण करने से इन्कार करती है, वहाँ वह ऐसे विनिश्चय के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का विनिश्चय सचिव द्वारा विनिश्चय को तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा।
- (6) जहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया जाता है, वहाँ आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस आवेदन सहित, उपनियम (8) के अधीन किए गए व्यपदेशन पर, यदि कोई हो, पारित आदेशों के अधीन रहते हुए आवेदक को विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र किन्तु यथास्थिति उक्त अभ्यावेदन करने के लिए परिसीमा समाप्त होने के या बोर्ड द्वारा उस अभ्यावेदन पर आदेश पारित करने के पश्चात् पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं, आवेदक को ऐसी रकम भेजने के खर्च की उसमें से कटौत करने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
- (7) (क) किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर करने या उसका नवीकरण करने अथवा रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करने में तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यात से संबंधित मामलों में या तम्बाकू पैक करने अथवा नीलाम करने अथवा उसका कारबार करने में आवेदक के अनुभव का तथा अधिनियम, अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों और विनियमों और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की शर्तों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में व्यक्ति के आचरण का ध्यान रखा जाएगा और यह कि क्या संबंधित व्यक्ति उन अन्य व्यवहारियों को जिनसे तम्बाकू, का क्रय किया गया है, बोर्ड द्वारा अनुबन्धित या विनिश्चय क्रय वाउचर देता रहा है जिसमें क्रय की गई तम्बाकू या उसके उत्पाद का परिमाण श्रेणी, दर प्रति क्विंटल और कुल रकम दर्शित की गई है।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ता

के रूप में या तम्बाकू के पैकर या नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने या नवीकरण से इन्कार करने में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या नियम 37 के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों और रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत किए गए या रखे गए हैं।

(8) कोई व्यक्ति, जिनका रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए आवेदन समिति द्वारा नामंजूर किया गया है, समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए उस व्यक्ति को विनिश्चय की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर बोर्ड को अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

37. तम्बाकू के निर्यातकर्ताओं, पैकरों, नीलामकर्ताओं और व्यौहारियों तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और रखे जाने वाले रजिस्टर

(1) (क) तम्बाकू का प्रत्येक निर्यातकर्ता और व्यौहारी प्ररूप 28 में रजिस्टर रखेगा ।

(ख) तम्बाकू का प्रत्येक पैकर और तम्बाकू का निर्यातकर्ता तथा व्यौहारी, जो तम्बाकू का पैकर भी है, प्ररूप 29 में रजिस्टर रखेगा ।

(ग) तम्बाकू उत्पादों का प्रत्येक निर्यातकर्ता प्ररूप 30 में रजिस्टर रखेगा ।

(घ) ऊपर वर्णित सभी रजिस्टर मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(2) (क) तम्बाकू का प्रत्येक निर्यातकर्ता, पैकर और व्यौहारी सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत से अन्य अधिकारी को प्ररूप 31 और 32 में मासिक विवरणियों उत्तरवर्ती मास के 10वें दिन को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा ।

(ख) तम्बाकू का प्रत्येक निर्यातकर्ता प्ररूप 39 में मासिक विवरणी उसी रीति से प्रस्तुत करेगा जो खंड (क) में अधिकथित है ।

(ग) तम्बाकू का प्रत्येक पैकर और निर्यातकर्ता तथा व्यौहारी, जो तम्बाकू का पैकर भी है, प्ररूप 33 में मासिक विवरणी उसी रीति से, जो खंड (क) में अधिकथित है, प्रस्तुत करेगा ।

(घ) तम्बाकू उत्पादों का प्रत्येक निर्यातकर्ता प्ररूप 18 में मासिक विवरणी उसी रीति से, जो खंड (क) में कथित है, प्रस्तुत करेगा ।

38. निर्यातकर्ताओं, पैकरों, नीलामकर्ताओं और व्यौहारियों के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकारण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया और सिद्धान्त :-

(1) निर्यातकर्ता, पैकर नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण समिति द्वारा रद्द किया जा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि :-

(क) रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया था; या

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के उपबन्धों, अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों या किसी विनियम का उल्लंघन किया है;

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने विनियमों, निबन्धनों, अधिनियम के उपबन्धों और इन नियमों में से किसी के विशिष्टतः धारा 8 के अनुसरण में, बोर्ड द्वारा अधिकथित या पुनःस्थापित मापों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अधिकथित शर्तों और अनुबन्धों का और ऐसे विनियमों, निबन्धनों, शर्तों और अनुबन्धों का, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित या पुनःस्थापित किए जाए, उल्लंघन किया है ।

- (2) इस नियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण को तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।
- (3) जहां रजिस्ट्रीकरण या उसका नवीकरण रद्द किया जाता है, वहां समिति का विनिश्चय उसके लिए कारणों सहित सचिव द्वारा संबंधित व्यक्ति को विनिश्चय किए जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा और रद्दकरण ऐसी संसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगा ।
- (4) कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा रद्द किया जाता है, बोर्ड को उस व्यक्ति को विनिश्चय का संसूचना के तीस दिन के भीतर समिति के विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा और बोर्ड, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अभ्यावेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- (5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से किसी ऐसी अन्य कार्यवाई पर, जिसके अन्तर्गत अभियोजन भी है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अधिनियम के उपबन्धों या इन नियमों के अधीन की जा सकता है ।

39. फीस के संदाय की रीति :-

नियम 33, 33ग्ग , 34, 34घ, 34छ, 34ठ, 34ड और 35 के अधीन संदेय फीस बोर्ड को या तो मनीआर्डर द्वारा या बोर्ड के पक्ष में लिखे गए क्रास चैक या ड्राफ्ट द्वारा या बोर्ड को नकद संदत्त की जाएगी।

39क . कतिपय मामलों में प्रमाणपत्र को दूसरी प्रति का जारी किया जाना :-

जहां सचिव या अध्यक्ष का दूसरी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि नियम 33, 33ग्ग , 34, 34घ, 34ज, 34ठ, 34ढ और 35 के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति खो गई है, नष्ट हो गई है या विकृत हो गई है, जिसमें प्रमाण-पत्र के धारक का कोई दोष नहीं है, जो यथास्थिति सचिव या ऐस अन्य अधिकारी प्रमाणपत्र के धारक द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति का दूसरा प्रति जारी कर सकेगा ।

40. बोर्ड द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर-बोर्ड निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा, अर्थात्:

- (क) वर्जीनिया तम्बाकू उगाने वालों का रजिस्टर;
- (ख) वर्जीनिया तम्बाकू का नर्सरी उगाने वालों का रजिस्टर;
- (ग) वर्जीनिया तम्बाकू के संसाधनों का रजिस्टर;
- (घ) वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ताओं का रजिस्टर;
- (ङ) वर्जीनिया तम्बाकू के विनिर्माणकर्ताओं का रजिस्टर;
- (च) वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकर्ताओं का रजिस्टर;
- (छ) वर्जीनिया तम्बाकू के कोठार धारकों का रजिस्टर;
- (ज) वर्जीनिया तम्बाकू के कोठार प्रचालकों का रजिस्टर;
- (झ) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ताओं का रजिस्टर;
- (ञ) तम्बाकू के पैकरों का रजिस्टर;
- (ट) तम्बाकू के नीलामकर्ताओं का रजिस्टर;
- (ठ) तम्बाकू के व्यौहारियों का रजिस्टर।

अध्याय - VIII

भूमि या परिसर का निरीक्षण

41. किसी भूमि या परिसर का निरीक्षण :-

(1) धारा 15 के अधीन किसी भूमि या परिसर का निरीक्षण करने से पहले बोर्ड के कोई सदस्य, अधिकारी, या अन्य कोई कर्मचारी को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे फार्म में उस व्यक्ति को, जिन्होंने ऐसे भूमि या परिसर का मालिक है या हकदार है, को पर्याप्त नोटिस (जो किसी भी हालत में चौबीस घंटे से कम नहीं होना है) देना होगा ।

(2) धारा 15 के अधीन किसी भूमि या परिसर का निरीक्षण सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करना होगा ।

अध्याय - IX

***42. धारा 14 क के अधीन विक्रेता पर आरोप्य शुल्क :-**

अधिनियम की धारा 14 क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा ।

43. विक्रेता से शुल्क वसूली विधान :-

धारा 14 क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है ।

44. धारा 14क के अधीन खरीददार पर शुल्क आरोप्य :-

अधिनियम की धारा 14 क के अधीन खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा ।

45. धारा 14क के अधीन खरीददार से शुल्क वसूली विधान :-

धारा 14 क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है ।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, धारा (I) में दि.22.08.1984 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1984 द्वारा नियम 42 से 45 तक प्रतिस्थापित किया गया है।

